

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : M-PRO-2018-00048

श्रीमति पूर्णिमा श्रीवास्तव विरुद्ध श्री देवतनु चक्रवर्ती, तनु कन्सट्रक्शन, रायपुर
ग्राम-देवबलोदा, तह.-पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर																		
29/08/2018	<p>– प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>– प्रकरण में आवेदिका अपने पुत्र श्री अभिनव श्रीवास्तव के माध्यम से उपस्थित।</p> <p>– अनावेदक अपने विधिक प्रतिनिधि श्री डेरेश्वर बंजारे के माध्यम से उपस्थित।</p> <p>– प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका द्वारा अनावेदक के ग्राम-देवबलोदा, तह.-पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.) स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भूखण्ड क्रय करने का सौदा किया गया था। प्रश्नाधीन भूखण्ड हेतु आवेदिका द्वारा अनावेदक को कुल 5,00,000/- रूपये का भुगतान किया जा चुका है। आवेदिका एवं अनावेदक के मध्य इस हेतु दिनांक 26.02.2013 को इकरारनामा निष्पादित किया गया था। प्रस्तुत आवेदन में आवेदिका ने अनावेदक द्वारा निर्धारित अवधि में भूखण्ड विकास कर प्रदान न करने के कारण उनके द्वारा भुगतान की गई राशि व नियमानुसार अन्य हक दिलाने का अनुरोध किया है।</p> <p>– प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक को आहूत कर उन्हें पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक ने अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर आवेदिका को भुगतान की गई संपूर्ण राशि रूपये 5,00,000/- लौटाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। जिसे आवेदिका ने भी प्राधिकरण के समक्ष स्वीकार किया।</p> <p>– अनावेदक द्वारा उक्त संपूर्ण राशि आवेदिका को निम्नानुसार लौटाये जाने का प्रमाण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया :-</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>दिनांक</th> <th>राशि</th> <th>विवरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24.08.2018</td> <td>1,80,000/-</td> <td>NEFT - ORBCH18236051951 द्वारा</td> </tr> <tr> <td>24.08.2018</td> <td>1,20,000/-</td> <td>खाताक्र-10167183115 में अंतरित</td> </tr> <tr> <td>29.08.2018</td> <td>1,00,000/-</td> <td>NEFT - ORBCH18241097285 द्वारा</td> </tr> <tr> <td>29.08.2018</td> <td>1,00,000/-</td> <td>खाताक्र-10167183115 में अंतरित</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>5,00,000/-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	दिनांक	राशि	विवरण	24.08.2018	1,80,000/-	NEFT - ORBCH18236051951 द्वारा	24.08.2018	1,20,000/-	खाताक्र-10167183115 में अंतरित	29.08.2018	1,00,000/-	NEFT - ORBCH18241097285 द्वारा	29.08.2018	1,00,000/-	खाताक्र-10167183115 में अंतरित	कुल	5,00,000/-		
दिनांक	राशि	विवरण																		
24.08.2018	1,80,000/-	NEFT - ORBCH18236051951 द्वारा																		
24.08.2018	1,20,000/-	खाताक्र-10167183115 में अंतरित																		
29.08.2018	1,00,000/-	NEFT - ORBCH18241097285 द्वारा																		
29.08.2018	1,00,000/-	खाताक्र-10167183115 में अंतरित																		
कुल	5,00,000/-																			






छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : M-PRO-2018-00048

श्रीमति पूर्णिमा श्रीवास्तव विरुद्ध श्री देवतनु चक्रवर्ती, तनु कन्सट्रक्शन, रायपुर
ग्राम-देवबलोदा, तह.-पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>– आवेदिका ने भी उक्त सम्पूर्ण राशि वापस प्राप्त करने तथा प्रस्तुत शिकायत पर कोई अन्य कार्यवाही नहीं चाहने के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष सहमति व्यक्त की है। आवेदिका ने उभय पक्षों के मध्य निष्पादित इकरारनामा की मूल प्रति एवं चेक अनावेदक को लौटाते हुए भविष्य में इस हेतु कोई दावा प्रस्तुत न करने के संबंध में सहमति व्यक्त की है।</p> <p>– प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण में आवेदिका को उसके द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि वापस प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न होने से प्रकरण समाप्त कर निराकृत किया जाता है।</p> <p>– उभय पक्षों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराकर प्रकरण नस्तीबद्ध करते हुए अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  (नरेन्द्र कुमार असवाल) सदस्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर </div> <div style="text-align: center;">  (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  (विवेक ढाँड) अध्यक्ष भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर </div> </div>	

